भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2902
उत्तर देने की तारीख 05 अगस्त, 2026

निजी क्षेत्र की उपग्रह कंपनियां

2902. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बाजार में निजी क्षेत्र की उपग्रह कंपनियों को अनुमति दी गई है और यदि हाँ तो उनकी स्वामित्व संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उपग्रह संचार कंपनियों को किन नामों से स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा और उनके संचालन की निगरानी की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपग्रह संचार प्रदाताओं के लिए सुरक्षा मंजूरी जारी की जाती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण, सीमावर्ती, जनजातीय और द्वीप क्षेत्रों को उपग्रह संचार के दायरे में कवर किया जाएगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने किसी आवेदक को उपग्रह आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत प्राधिकार केवल तभी प्रदान किया जब वह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी थी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) शर्तों, सुरक्षा शर्तों और संबंधित राष्ट्रीय कानूनों सहित यूएल के सभी निर्धारित निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत थी।

निम्नलिखित तीन कंपनियों को सैटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल निजी संचार (जीएमपीसीएस) सेवा प्राधिकार के साथ एकीकृत लाइसेंस जारी किया गया है:

(i) वनवेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
(ii) जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड
(iii) स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड

निम्नलिखित 11 कंपनियों को वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के साथ एकीकृत लाइसेंस जारी किया गया है:

(i) नेल्को लिमिटेड
(ii) ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(iii) क्लाउडकास्ट डिजिटल लिमिटेड
(iv) रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
(v) भारत संचार निगम लिमिटेड
(vi) वनओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड
(vii) जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड
(viii) वनवेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
(ix) एवैंटेल लिमिटेड
(x) स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
(xi) इनमारसैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 23.6.2026 को दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 अधिसूचित किये है। उक्त नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी प्राधिकार के लिए आवेदन करने की पात्र है और प्राधिकार के प्रदान किए जाने के पश्चात् वह कंपनी नियमों के तहत निर्दिष्ट अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार तार से या बेतार स्थलीय नेटवर्क, उपग्रह नेटवर्क या पनडुब्बी नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर सकती है। इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजनों हेतु केंद्र सरकार को निरीक्षण करने और आकलन करने का अधिकार है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 में इसकी पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन का प्रावधान है। पहली अनुसूची की प्रविष्टियों में टेलीपोर्ट, टेलीविजन चैनल, डायरेक्ट टू होम, हेडएंड इन द स्काई, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस, एल और एस बैंड मे मोबाइल सैटेलाइट सर्विस जैसी कतिपय सैटेलाइट-आधारित सेवाएं शामिल हैं। निजी सैटेलाइट संचार कंपनियां लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ऐसे स्पेक्ट्रम आवंटन प्राप्त कर सकती हैं।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन कंपनियों, नामत: वनवेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड और स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को जीएमपीसीएस सेवा प्राधिकार के साथ एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया है। इन लाइसेंसधारियों को सुरक्षा संस्वीकृति, लाइसेंस की निर्धारित सुरक्षा और तकनीकी शर्तों के अनुपालन के सफल प्रदर्शन के अधीन है। उपग्रह आधारित संचार सेवाएं, ग्रामीण, सीमावर्ती, जनजातीय और द्वीप क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं, जिन्हें अन्यथा ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव आदि जैसे भू-स्थलीय मीडिया के माध्यम से कवर करना मुश्किल है।
